संख्याः 1068/ई–1/तेरह–2021–18/17(टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः 04 जून, 2021**

विषयः **प्रदेश में अवैध मदिरा के निष्कर्षण, परिवहन, व्यापार आदि में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि आबकारी विभाग का उद्देश्य मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना है। प्रदेश में बडी मात्रा में रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं अवैध मदिरा का निर्माण, तस्करी आदि पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किया जाना अपरिहार्य है।

2. मिथाइल अल्कोहल से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1921 (यथासंशोधित नियमावली, 1994 एवं 2014) के प्रभावी कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 294/छः–पु.–9–21–2(6)/2019, दिनॉक 21–01–2021 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैः–

(i) गृह विभाग की अधिसूचना संख्याः 3270/आठ–9–4(5)89, दिनांक 31–07–1989 द्वारा प्वायजन्स ऐक्ट, 1919 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को विष घोषित कर दिया गया है। मिथाइल अल्कोहल नामक विष को कब्जे में रखने और उसके क्रय–विक्रय को विनियमित करने के लिये प्वायजन्स ऐक्ट, 1919 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 यथा संशोधित, 2014 विज्ञापित की गयी है। इस नियमावली के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विकय करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुज्ञापन/परमिट, लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा जारी किये जाने का प्राविधान बनाया गया हैः–

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का उद्देश्य
1	2	3
1	एम.ए.–1	मिथाइल अल्कोहल उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये।
2	एम.ए.–2	मिथाइल अल्कोहल की थोक बिक्री का अनुज्ञापन।
3	एम.ए.–3	मिथाइल अल्कोहल की फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन।
4	एम.ए.–4	मिथाइल अल्कोहल को क्रय करने, प्रयोग करने या बिक्री का अनुज्ञापन।
5	एम.ए.–5	मिथाइल अल्कोहल क्रय करने की परमिट।
6	एम.ए.–6	मिथाइल अल्कोहल के परिवहन व आयात का परमिट।
7	एम.ए.–7	मिथाइल अल्कोहल के परिवहन व निर्यात का परमिट।
8	एम.ए.–8	अनुज्ञापियों द्वारा मिथाइल अल्कोहल की प्राप्ति, उपभोग एवं बेचे गये मिथाइल अल्कोहल के लेखे का रजिस्टर।
9	एम.ए.–9	अनुज्ञापियों द्वारा प्राप्त मिथाइल अल्कोहल की मासिक विवरणी।

उपर्युक्त नियमावली के अधीन उक्त अनुज्ञापियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों एवं उसके निरीक्षण करने के लिये मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, मेडिकल आफीसर आदि के अतिरिक्त आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा या उद्योग विभाग के उद्योग निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को भी अधिकार प्रदत्त है।

(ii) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 56 एवं 57 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों को रोके जाने हेतु अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों को सहयोग दिये जाने हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

UP Excise Act, 1910:-

(Section-56): Duty of officers of certain departments to report offences and to assist officers of the Excise Department.

Every officer of the police, salt, opium and land revenue departments shall be bound to give immediate information to an (officer of the Excise Department) of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge, and to aid, and (officer of the Excise Department) in carrying out the provisions of this Act upon request made by such officer.

(Section-57): Duty of owner, occupier, lekhpal or village policeman to report certain matters.

Every person who owns or occupies any land or building and the agent of such owner or occupier, on or in which there has been any unlawful manufacture of anyintoxicant, or any unlawful cultivation or collection of any plants from which an intoxicating drug can be produced, and everyowner of a vessel or vehicle in which any intoxicant is manufactured contrary to the provisions of this Act, and every lekhpal or village policeman in whose jurisdiction such land or building in situate or vessel or vehicle is found, shall, in the absence of reasonable excuse, be bound to give notice of the same to a magistrate or to an officer of the excise, police or land revenue department immediately the same comes to his knowledge.

(iii) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–60क के अन्तर्गत किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करने/उपभोग हेतु विक्रय करने/प्रदान करने/विक्रय करवाने/उपलब्ध करवाने, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, दण्डित किये जाने का निम्न प्राविधान किया गया है:–

"60A. Whoever, adulterates or causes to be adulterated any intoxicant by mixing any other substance or foreign ingredient to make such intoxicant noxious or sells, offers or makes or causes to be sold or offered or made available such noxious intoxicant or any other noxious substance for consumption in the garb of an intoxicant, likely to cause disability or hurt or grievous hurt or death or any other consequential injury to humanbeings, shall be punished;

(i) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees but shall not be less than five lakh rupees;

(ii) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused, with imprisonment for life or rigorous imprisonment which may extend to ten years but shall not be less than six years and with fine which may extent to five lakh rupees but shall not be less than three lakh rupees;

(iii) if as a result of such an act, any hurt or any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to two years but shall not be less than one year and fine which may extend to two lack fifty thousand rupees but shall not be less than one lakh twenty five thousand rupees.

Explanation: For the purpose of this section the expression "hurt and grievous hurt" shall have the same meaning as in section 319 and section 320 respectively of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. XLV of 1860)."

(iv) जहरीली शराब के सेवन से व्यापक जनहानि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश में अवैध मद्य निष्कर्षण व अवैध कच्ची शराब में नशा बढ़ाकर बेचने के उद्देश्य से क्लोरल हाइड्रेट, आक्सीटोसिन, यूरिया, नौसादर, मिथाइल अल्कोहल आदि पदार्थ के अपमिश्रण किये जाने के मामलों में आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा–60 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–272 के अन्तर्गत भी कार्यवाही के साथ ही ऐसे प्रकरण में धारा–2/3 गैंगेस्टर अधिनियम में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः डीजी–सात–एस–12(18)/2007, दिनांक 08–08–2009 द्वारा पुलिस विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(v) Excise Manual-Vol.-I, Par-IV Chapter-II के नियम–79 के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान वर्णित हैः–

"Officers of the Excise Department shall co-operate with police officers in the detection and prosecution of Excise offences. Any instance of jealous or obstructive working will be severely punished. Excise inspectors should take every opportunity of meeting the Police Officer in-charge of stations situated in their respective circle and of discussing informally excise matters with them. Deputy Commissioners in their inspection reports should note how these instructions have been complied with."

(vi) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–90 में ऐसे अतिघातक विषकारक, खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने वाले टैंकरों के सम्बंध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

"The vehicle plying under a national permit shall be painted in dry leaf brown colour with thirty centimeters broad white borders and the words "National permit" shall be inscribed on both sides of the vehicle in bold letters within a circle of sixty centimeters diameter:

PROVIDED that the body of a tanker carrying dangerous or hazardous goods shall be painted in white colour with a dry leaf brown ribbon of 5 centimeters width around in the middle at the exterior and that of the driver's cabin in orange colour."

(vii) मिथाइल अल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थ से निर्मित अवैध मदिरा के सेवन से विषाक्त मदिरा की घटनायें प्रदेश में घटित होने के दृष्टिगत मिथाइल अल्कोहल एवं अन्य विषैले पदार्थ से निर्मित अवैध एवं विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली दुर्घटना की रोक–थाम के लिये निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गये हैं:–

(1) प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन करने वाली अनुज्ञापित इकाइयों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य इकाई द्वारा जिले में मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाना पाया जाये, तो ऐसे इकाई के लिए कड़ी कार्यवाही करते हुए उक्त की सूचना शासन व आबकारी आयुक्त को तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

(2) उक्त इकाइयों में मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन, भण्डारण एवं बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाय।

(3) मिथाइल अल्कोहल के प्रसंस्करण या भण्डारण के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र धारित टैंक या बर्तन पर उत्कीर्ण लेखे का सुस्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा। उक्त सम्बन्ध में लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(4) उत्पादन परिसर से मिथाइल अल्कोहल की निकासी के पूर्व उत्पादक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लें कि टैंकर पर सील भली प्रकार से लगा दी गयी है एवं आवश्यक चेतावनी अंकित कर दी गयी है तथा जहॉ सील लगी है, उसके अतिरिक्त टैंकर में अन्य कोई निकासी द्वार अथवा छिद्र आदि तो नहीं है, साथ ही सीलें यदि पुरानी हो गयी हों, तो नई सील बनवाई जाय। इस आशय का एक प्रमाण–पत्र उत्पादन करने वाली इकाई से भी ले लिया जाय।

(5) प्रदेश के सभी जिले में मिथाइल अल्कोहल के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की सूची भी संकलित कर जिला स्तर पर अनुरक्षित की जाय। इस बात पर विशेष नजर रखी जाय कि कहीं इन इकाइयों द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने वाले व्यक्तियों को मिथाइल अल्कोहल की बिक्री तो नहीं की जा रही है।

(6) राजमार्गों पर स्थित ऐसे ढाबों/संदिग्ध अड्डों/स्थानों को तत्काल चिन्हित करते हुए अवैध मदिरा एवं विषाक्त मदिरा विक्रय के अड्डों पर लगातार दबिश दी जाय। जिला स्तर पर इनकी सूची/डाटाबेस तैयार कर उसकी एक प्रति शासन तथा आबकारी आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जाय।

(7) मिथाइल अल्कोहल के आपूर्तिकर्ता, परिवहनकर्ता, अवैध मदिरा निर्माता एवं विक्रेता तथा आर्थिक प्रबन्धकर्ता की सघन जांच की जाय। इस तरह के अवैध व्यापार में लिप्त पायें जाने पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

(8) मिथाइल अल्कोहल के प्रसंस्करण या भण्डारण के लिए प्रत्येक पात्र धारित, टैंक या बर्तन पर उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 एवं नियमावली, 2014 में वर्णित कानूनी चेतावनी अंकित की जाए। मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर भी उपरोक्त कानूनी चेतावनी को अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई टैंकर उक्त प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत परिवहन करेगा तो ऐसे टैंकर के ड्राइवर, उसके मालिक तथा अन्य संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(9) मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों द्वारा किसी भी स्थिति में इथाइल अल्कोहल का परिवहन न किया जाये और मिथाइल अल्कोहल का परिवहन करने वाले टैंकरों पर विष के 'लोगो' की छाप भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाय।

(10) उक्त नियमावली के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में अनुज्ञापन/परमिट लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा जारी किये जाने का प्राविधान है। अनुज्ञापन के सम्बन्ध में वर्णित समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(11) विष अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारकों से इस प्राविधान का अनुपालन सख्ती से कराया जाय। यदि उपर्युक्त कानूनी चेतावनी का पालन न किया जा रहा हो तो उनके विरूद्ध अनुज्ञापन के निलम्बन/निरस्तीकरण सहित अन्य नियमोचित कार्यवाही की जाय।

(12) प्रदेश के सभी जनपदों में मिथाइल अल्कोहल से थिनर बनाने एवं बेचने वाली ऐसी इकाइयों, जिनके पास नियमानुसार विष अधिनियम एवं तत्संबंधित नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेंस न हो, उनके विरूद्ध नियमानुसार तत्काल सख्त कार्यवाही की जाय। विशेष रूप से उन्हें नियमों की जानकारी देकर उनसे लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कहा जाय।

(13) अवैध शराब पकड़ में आने पर आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारियों और थानों की जबाबदेही तय की जाय। अवैध शराब की गतिविधियों में सम्मिलित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही पर बल देते हुये ऐसे लोगों पर एन.एस.ए. लगाया जाय और इनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही भी की जाय।

(14) स्थानीय समाचार–पत्रों में नियमित अन्तराल पर विज्ञापन प्रकाशित कराये जायें, जिससे कि जन सामान्य को मिथाइल अल्कोहल के संबंध में जानकारी मिल सके।

(15) उक्त परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशा–निर्देशों का भली प्रकार से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(viii) उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1921 यथासंशोधित नियमावली, 1994 एवं नियमावली, 2014 में वर्णित प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नोडल समिति गठित की जाये, जिसके अन्य सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न न हों तथा सदस्य/संयोजक के रूप में जिला आबकारी अधिकारी हों।

(ix) उक्त समिति, नियमावली के अधीन अनुज्ञापी के परिसर के निरीक्षण करने के लिये अधिकृत अधिकारियों (मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (निरीक्षक स्तर से अनिम्न), राजस्व अधिकारी (तहसीलदार स्तर से अनिम्न), चिकित्सा अधिकारी (सहायक शल्य से अनिम्न) आदि के अतिरिक्त आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी या उद्योग विभाग के उद्योग निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी), से समन्वय स्थापित करके नियमावली, 1921 (यथासंशोधित, 1994 एवं नियमावली, 2014) के प्राविधानों एवं उक्त निर्देशों का प्रभावी अनुपालन व कियान्वयन सुनिश्चित करायेगी।

(x) उपरोक्तानुसार समिति का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियामवली, 1921 यथा संशोधित नियमावली, 1994 एवं नियमावली, 2014 में वर्णित प्राविधानों एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि मिथाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग के फलस्वरूप होने वाली जनहानि से सम्बन्धित घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त निर्देशों के पूर्व भी आबकारी विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 04–12–2020 में संदिग्ध ढाबों को अविलम्ब चिन्हित कर छापे डालने और कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे एवं दिनांक 22–12–2020 की बैठक में जहां पर भी 1,000 लीटर से अधिक कच्ची व अवैध शराब पकडी गयी है वहॉ अभियान चलकार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं:–

(i) ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें 1,000 बल्क लीटर से अधिक कच्ची शराब, दूसरे राज्य में बनी शराब, केमिकल से बनी शराब, रेक्टीफाइड स्प्रिट आदि प्राप्त हुई हैं ऐसे प्रत्येक प्रकरण में जिलाधिकारी केस–टू–केस पुनः समीक्षा करेंगे और यह देखा जाय कि प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के अनुरूप मुख्य अभियुक्तों के नाम आरोप पत्र में हैं अथवा नहीं? आबकारी नियमों के अनुसार यदि लाइसेंसी का सेल्समैन अनियमितता में पकड़ा जाता है, तो इस हेतु लाइसेंसी संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा–7 के अन्तर्गत जिम्मेदार होगा। कतिपय जिलों में घटित विषाक्त काण्ड के प्रकरण में यह देखा गया है कि मूल लाइसेंसी का नाम विवेचक द्वारा हटा दिया गया है, जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर कर नाम सम्मिलित कराया गया। यह प्रकिया उचित नहीं है। जहॉ पर विवेचना अधिकारी द्वारा माफिया तत्वों के नाम, जिनके विरुद्ध एफ.आई.आर. में नाम अंकित था, को गलत तरीके से हटाये गये हैं, वहॉ पर यदि प्रकरण में आरोप–पत्र दायर नहीं है, तो संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से और यदि आरोप–पत्र दाखिल है तो सक्षम न्यायालय में सी.आर.पी.सी. की धारा–319 के तहत पुनरीक्षण की कार्यवाही कर नाम नियमानुसार पुनः सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(ii) इसी प्रकार मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा प्रति जिले के 10 बड़े प्रकरणों की गहन समीक्षा की जायेगी।

(iii) किसी भी अनुज्ञापी को लाइसेंस निर्गत हो गया है और उसके पास से अवैध शराब अथवा किसी अवैध रूप से किसी भी प्रकार की स्प्रिट की बरामदगी होती है, तो ऐसी दशा में उस लाइसेंसी की सभी दुकानों की सघन चेकिंग कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाये। यदि कम्पाउण्ड आफेंस का प्रकरण है तो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। नॉन–कम्पाउण्ड के प्रकरण में किसी भी दशा में लाइसेंस बहाल नहीं किया जायेगा।

(iv) सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में सकिय व असकिय माफियाओं के समस्त प्रकरणों को जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) एवं संयुक्त निदेशक, अभियोजन के साथ केस–टू–केस आधार पर परीक्षण करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अपराधी को छोड़ा तो नहीं गया है अथवा उसका नाम आरोप पत्र से हटाया तो नहीं गया है। सकिय व असकिय माफियाओं का निर्धारण पिछले 15 वर्ष में पुलिस थाने में दायर मुकदमों एवं आबकारी विभाग के रजिस्टर में दर्ज मुकदमों के आधार पर होगा।

(v) जहरीली शराब के सेवन से व्यापक जनहानि को दृष्टिगत रखते हुये, प्रदेश में अवैध मदिरा जल्दी तैयार कराने के लिए यूरिया व नौसादर का प्रयोग एवं कभी–कभी नशा बढ़ाने के लिए क्लोरल हाइड्रेट, आक्सीटोसिन आदि पदार्थ मिलाकर अपमिश्रित किये जाते है। ऐसे मामलों में आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा–60 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–272 के अन्तर्गत भी कार्यवाही के साथ ही ऐसे प्रकरण में धारा–2/3, गैंगेस्टर अधिनियम, 1986 में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः डीजी–सात–एस–12(18)/2007, दिनांक 08–08–2009 द्वारा पुलिस विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(vi) प्रदेश के सभी जिले में मिथाइल अल्कोहल के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की सूची भी संकलित कर जिला स्तर पर अनुरक्षित की जाय। इस बात पर विशेष नजर रखी जाय कि कहीं इन इकाइयों द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल की बिक्री तो नहीं की जा रही है। ऐसे अनुज्ञापनों का नियमित निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी होने पर आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारियों और थानों की जबाबदेही तय की जाय। अवैध शराब की गतिविधियों में सम्मिलित लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही पर बल देते हुये ऐसे लोगों पर एन.एस.ए. लगाया जाय और इनकी सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही भी की जाय।

(viii) जब कोई अनुज्ञापी ब्लैक लिस्ट हो जायेगा, तो उसकी जानकारी प्रदेश के सभी अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी और उसे किसी जिले से आबकारी का लाइसेंस प्राप्त नहीं होगा।

(ix) मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगें। प्रथम बैठक जून माह के प्रथम पक्ष में कर लें और तदोपरान्त प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष में बैठक की जाय, जिसकी सूचना नियमित रूप से अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उपलब्ध करायेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 1068(1)ई–1/तेरह–2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. आयुक्त, परिवहन, उत्तर प्रदेश।
6. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
7. पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी।
8. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन–1 व 2, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

04.6.2021

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव